न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 161/2022

ऑनलाईन नंबर 2022/246

निर्णय दिनांकः 12.11.2022

1. मदन कंवर पत्नी स्व. ईश्वरसिंह जाति राजपूत निवासी लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. गणेशसिंह पुत्र ईशरसिंह जाति राजपूत निवासी लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. शोभा कंवर पुत्री स्व. ईश्वरसिंह (पत्नी गजेन्द्रसिंह) जाति राजपूत निवासी लखासर हाल निवासी रायसर, बीकानेर।

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

उपस्थितिः–

1. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण स्व. ईशरसिंह के उत्तराधिकारी व वारिसान है। प्रार्थी संख्या 1 स्व. ईशरसिंह की पत्नी, प्रार्थी संख्या 2 पुत्र व प्रार्थी संख्या 3 पुत्री है। प्रार्थीगण के पिता/पिता ईशरसिंह की खातेदारी का खेत वर्तमान खसरा नम्बर 629 तादादी 24.81 हैक्टेयर (पुराना खसरा नम्बर 418) वाकेरोही लखासर, वर्तमान खसरा नम्बर 153, 154 कुल तादादी 22.47 हैक्टेयर (पुराना खसरा नम्बर 103 मीन) वाकेरोही गजपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित रहा है। खातेदार की मृत्यु उपरान्त उसके वारिसान प्रार्थीगण व अन्य वारिसान के नाम विरास्तन इन्तकाल नम्बर 649 (कृषि लखासर) इन्तकाल संख्या 246 (कृषि भूमि गजपुरा) राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। उक्त इन्तकाल दर्ज करते समय प्रार्थी संख्या 1 का नाम मदु कंवर पत्नी ईशरसिंह, प्रार्थी संख्या 2 का नाम मांगूसिंह पुत्र ईशरसिंह व प्रार्थी संख्या 3 का नाम इन्तकाल संख्या 649 में पार्वती कंवर पुत्री ईशरसिंह व इन्तकाल संख्या 246 में नाम शोभा कंवर पुत्री ईशरसिंह दर्ज हुआ है। उक्त इन्तकालों की पुश्त पर खातेदार ईशरसिंह के फौत पश्चात जो वंश वंशावली दर्शित की गई है, उनमें प्रार्थीगण के बिना किसी दस्तावेजों का आधार लिये लाड–प्यार से घर–परिवार में पुकारे जाने वाले नाम मदु कंवर, मांगूसिंह, पार्वती कंवर के आधार पर इन्तकाल की कार्यवाही कर वादगत खसरान भूमि की खातोरी में प्रार्थीगण का नाम विरास्तन दर्ज किये गये हैं। प्रार्थी संख्या 1 के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड में उसका सही दस्तावेज अनुसार नाम मदनकंवर पत्नी ईश्वरसिंह नाम है, जो कि ईशरसिंह की पत्नी है। प्रार्थी संख्या 2 के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व परिवार राशन कार्ड में उसकी सही दस्तावेज अनुसार नाम गणेशसिंह पुत्र ईशरसिंह है, जो ईशरसिंह का ही पुत्र है, ईशरसिंह के मांगूसिंह के नाम का कोई पुत्र नहीं है, प्रार्थी गणेशसिंह को [illegible] परिवार में मांगूसिंह के नाम से जानते हैं। वादगत खेत रोही गजपुरा में प्रार्थी संख्या 3 [illegible] अनुसार नाम शोभा कंवर दर्ज हुआ है, [illegible] खसरा नम्बर [illegible] रोही [illegible]सर के विरास्तन इन्तकाल में प्रार्थी संख्या 3 का नाम पार्वती कंवर [illegible] हुआ है। स्व. ईशरसिंह के पार्वती कंवर [illegible] कोई पुत्री नहीं [illegible] प्रार्थी संख्या 3 को ही घर परिवार में पार्वती कंवर के नाम से जानते हैं। प्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश के अनपढ़ व्यक्ति है, जिन्होंने अपनी विरास्तन [illegible]री भूमि का अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.15 16:37:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)
सत्यमेव जयते

सहखातेदारों से खाता विभाजन की कार्यवाही करने के लिए राजस्व दस्तावेज की नकलें प्राप्त की तो दिनांक 06..07.2022 का पूर्ण जानकारी हुई कि वादगत खसरान भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में उनके दस्तावेज अनुसार नाम दर्ज न होकर घर परिवार में पुकारे जाने वाले नाम से खातेदारी दर्ज हुई है। प्रार्थीगण ने अपने तमाम दस्तावेज अप्रार्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्धि का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने कहा कि सक्षम न्यायालय के आदेश से ही हम राजस्व रिकॉर्ड में आपके दस्तावेज अनसार शुद्धि व सही नाम दर्ज करेंगे। प्रार्थीगण वादगत खसरान भूमि के काबिज काश्तकार होने से राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी व उसके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा बिना दस्तावेजों की जांच किये विरास्तन इन्तकाल में प्रार्थीगण का नाम अशुद्ध व गलत दर्ज को सही व दुरूस्त करवाने से अधिकार रखते हैं। यह है कि प्रार्थना–पत्र निर्धारित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। राजस्व कर्मचारियों की गलती से राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम दर्ज हुआ है। वादगत खेत गांव लखासर व गजपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है, इसलिए प्रार्थना–पत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि खेत खसरा नम्बर 629 रोही लखासर व खसरा नम्बर 153, 154 रोही गजपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 1 का नाम मदु कंवर पत्नी ईशरसिंह दुरूस्त कर सही नाम मदन कंवर ईश्वरसिंह, प्रार्थी संख्या 2 का नाम मांगूसिंह पुत्र ईशरसिंह दुरूस्त कर सही नाम गणेशसिंह पुत्र ईशरसिंह तथा खसरा नम्बर 629 रोही लखासर के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 3 का नाम पार्वती कंवर पुत्री ईशरसिंह दुरूस्त कर सही नाम शोभा कंवर पुत्री ईशरसिंह दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकाराराज ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 629 रोही लखासर व खसरा नम्बर 153, 154 रोही गजपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 1 का नाम मदु कंवर पत्नी ईशरसिंह के स्थान पर शुद्ध नाम मदन कंवर पत्नी ईश्वरसिंह, प्रार्थी संख्या 2 का नाम मांगूसिंह पुत्र ईशरसिंह के स्थान पर शुद्ध नाम गणेशसिंह पुत्र ईशरसिंह तथा खसरा नम्बर 629 रोही लखासर के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 3 का नाम पार्वती कंवर पुत्री ईशरसिंह के स्थान पर शुद्ध नाम शोभा कंवर पुत्री ईशरसिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 12.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya(दिव्या)
Date: 2022.11.15 16:47:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)
सत्यमेव जयते